संख्या: 11/2024/266/तीस-1-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2024

विषय: जनपद कुशीनगर के पडरौना बस स्टेशन के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-145 बी/डीए/पूर्व/24-42जेईटी/वि0/19-20, दिनांक 16.02.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कुशीनगर के पडरौना बस स्टेशन के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 659.06 लाख के परीक्षणोपरान्त प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 628.66 लाख (रूपये छ: करोड़ अट्ठाइस लाख छाछठ हजार मात्र) (सेन्टेज, लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 सहित) पर स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त कि रूप में धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) शासनादेश संख्या-15/2023/330/तीस-1-2023, दिनांक 30.03.2023 द्वारा कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी। उक्त परियोजना हेतु उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.02.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत जनपद कुशीनगर के पडरौना बस स्टेशन के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत कुल लागत रू0 628.66 लाख (रूपये छ: करोड अट्ठाइस लाख छाछठ हजार मात्र) (सेन्टेज, लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 सहित) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 528.66 लाख (रूपये पांच करोड़ अट्ठाइस लाख छाछठ हजार मात्र) में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में धनराशि रू0 264.33 लाख (दो करोड़ चौसठ लाख तैतीस हजार मात्र) को द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(4) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227 /दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 तथा उसके क्रम में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-7/2023/बी-1-479/दस-2023-231/2023, दिनांक 01.08.2023 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- 10/2023/बीस-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता- एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

(12) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम को होगा।

(13) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

(14) उक्त धनराशि पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त व्यय की जायेगी।

(15) अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-15/2023/330/तीस-1-2023, दिनांक 30.03.2023 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखा शीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0 संख्या- E-9-588-X-2023-24- दिनांक: 13-3-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 11/2024/266(1)/तीस-1-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4/परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन ।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. गाई फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।